न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
189/2018

रजू दिनांक
14.08.2018

निर्णय दिनांक
24.05.2023

उनवान

1. घीसाराम पुत्र रूघनाथ उर्फ रघुनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
2. सूबेसिंह उर्फ लालाराम पुत्र रूघनाथ उर्फ रघुनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।

वादीगण।

बनाम

1. श्रीमती चम्पा पत्नी जयनारायण
2. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण
3. रोहताश पुत्र जयनारायण
4. सतीश पुत्र जयनारायण
5. जगदीश पुत्र जयनारायण
6. प्रेम पुत्री जयनारायण
7. मीना पुत्री जयनारायण
8. समता पुत्री जयनारायण
9. जगराम पुत्र चुन्ना
10. फुसा पुत्र चुन्ना
11. फुलवती पत्नी रामजीलाल
12. राजेश पुत्र रामजीलाल सभी जाति अहीर निवासीयान ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
13. मुकेश पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी पप्पूराम जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
14. सुमन पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी रामपाल जाति अहीर निवासी झापरी तह0 कोटकासिम।
15. वेदवती पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी रमेश जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
16. पूनम पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा हाल पत्नी सेठी जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
17. बबली पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा हाल पत्नी लालाराम जाति अहीर निवासी झापरी तह0 कोटकासिम।
18. उपपंजीयक ,नीमराना।
19. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:- प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:- 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

-::निर्णय::-

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है-

वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1736/0.60 वाके ग्राम कायसा तह.नीमराना जो साविक ख.नं. 972/02-05विस्वा से कायम हुआ है। उक्त

आराजी में खातेदारी इस प्रकार दर्ज है कि" श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिंह हिस्सा 1/3,घीसाराम,सुवेसिंह उर्फ लालाराम पि. रुघनाथ हिस्सा 1/6,जगराम,फुसा,रामजीलाल पि.चुन्ना 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिस खातेदारी इन्द्राज मे श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिंह गलत अंकित किया हुआ है जबकि श्रीराम, जयनारायण के पिता का नाम चुन्ना है और जगराम,फुसा के पिता का नाम भी चुन्ना है। इसप्रकार श्रीराम,जयनारायण,जगराम,फुसा,रामजीलाल पांचों सगे भाई है। उनकी अन्य आराजी मे इसी प्रकार से खातेदारी दर्ज है व पांचों के पिता का नाम चुन्ना अंकित है। लेकिन उक्त आराजी मे राजस्व कर्मचारीयों ने गलती व लापरवाही से श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिंह हिस्सा 1/3 गलत अंकित किया गया है,नरसिंह वादीगण के दादा का नाम था श्रीराम,जयनारायण के पिता का नाम चुन्ना है इसलिए उक्त आराजी मे श्रीराम,जयनारायण को उनके भाई जगराम,फुसा,राजीलाल पि. चुन्ना के साथ जोडना चाहिए था क्योंकि उक्त आराजी मे चुन्ना के सभी वारिसान 1/2 हिस्से के खातेदार है व 1/2 हिस्से के खातेदार हम वादीगण है लेकिन हम वादीगण के 1/2 हिस्से मे से 1/3 हिस्सा श्रीराम,जयनारायण पिता नरसिह के नाम व 1/6 हिस्सा हम वादीगण के नाम से गलत दर्ज कर दिया गया। श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिह नाम के हमारे गांव मे व हमारे परिवार मे कोई व्यक्ति नही है बलकि चुन्न के पुत्र श्रीराम,जयनारायण के आगे हम वादीगण के दादा नरसिह का नाम अंकित कर उनके 1/3 हिस्से के खातेदार गलत दर्ज किए गए है। जिससे हम वादीगण के हक व हकूक प्रभावित होते है।

2. उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी पूर्व मे वादीगण को नही थी अब दिनांक 11.08.2018 को जानकारी होने पर साबिक व हाल रिकॉर्ड की नकले लेने पर जानकारी हुई जानकारी होने पर वादीगण को यह वाद पेश कराना लाजिम आया है।

3. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:—

(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज इस अमर की सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल ख.नं. 1736/0.60 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना कि हाल जमाबंदी के खातेदारी कालम मे जहॉ पर " श्रीराम,जयनारासण पि.नरसिंह हिस्सा 1/3 घीसाराम, सूवेसिंह उर्फ लालराम पिता रघुनाथ हिस्सा 1/6, जगराम, फुसा,रामजीलाल पि0 चुन्ना हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार" दर्ज है। उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान " श्रीराम,जयनारायाण पिता चुन्ना हिस्सा 1/5 ,घीसाराम,सूवेसिंह उर्फ लालाराम पि0 रधुनाथ हिस्सा 1/2, जगराम, फुसा,रामजीलाल पिता चुन्ना हिस्सा 3/10 जाति अहीर सा0देह खातेदार" दर्ज किया जाने कि घोषणा फरमाई जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल कराये जाने के आदेश दिए जावें।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावे कि आराजी ख.नं. 1736/0.60 वाके ग्राम कायसा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादी को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह वय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष वैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे स्वय का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01 व रामप्रताप पुत्र भोगद का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02पेश किये है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2069—72 प्रर्दश 01, नकल ख.गिरदावरी संवत 2074 प्रदर्श 02 नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2042 प्रदर्श 03, नकल जमाबंदी संवत 2034 प्रदर्श 04,नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042—61 प्रदर्श 05,सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श 06,नकल जमाबंदी संवत 2069—72 प्रदर्श 07 पेश किए है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अवलोकन से

कारी
लवर)
Sidd/2023

साबित है कि हाल ख0नं0 1736/0.60 साबिक ख.नं. 972/02–05 बिस्वा से कायम हुआ है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2034 प्रदर्श 04 के अनुसार साबिक ख.नं. 972 रकबा 02 बीधा 05 बिस्वा पर श्रीराम,जयनारायण,रूघनाथ पि0 नरसिंह संभाग 1/2 व फुसा,जगराम,रामजीलाल पि. चुन्ना संभाग 1/2 अहीर सा0देह खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2042–61 के अवलोकन से साबित है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0न. 972 का हाल ख.नं. 1736 कायम करते हुए श्रीराम,जयनारायण,रूघनाथ पि.नरसिह 1/2, फुसा,जगराम,रामजीलाल पि.चुन्ना 1/2 अहीर सा0देह खातेदार दर्ज किया है। इस प्रकार भूप्रबंध विभाग द्वारा श्रीराम,जयनारायण के पिता का नाम नरसिंह गलत अंकित किया है जबकि साबिक जमाबदी अनुसार इनके पिता का नाम चुन्ना है। तथा जगराम,फुसा,रामजीलाल के पिता का नाम भी चुन्ना है। इस प्रकार चुन्ना के 05 पुत्र थे, परन्तु भूप्रबंध विभाग द्वारा श्रीराम,जयनारायण को 1/3 भाग का हिस्सेदार अंकित करते हुए उनके पिता का नाम चुन्ना के बजाय नरसिंह दर्ज कर दिया जबकि नरसिंह वादीगण के दादा का नाम था। इस प्रकार चुन्ना के सभी वारिसान को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज करना चाहिए था परन्तु इस 1/2 हिस्से मे से 1/3 हिस्से पर श्रीराम,जयनारायण पिता नरसिंह के नाम का गलत अंकन हुआ है। तथा वादीगण के नाम से 1/6 हिस्सा गलत दर्ज किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल रिकार्ड के अनुसार वाद वादी साबित होता है व काबिले डिक्री करार पाता है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादी को आराजी हाल ख.नं. 1736/0.60 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी के खातेदारी कालम मे जहॉ पर " श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिंह हिस्सा 1/3 ,घीसाराम, सूबेसिंह उर्फ लालराम पिता रघुनाथ हिस्सा 1/6, जगराम, फुसा,रामजीलाल पि0 चुन्ना हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार " दर्ज है। उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान " श्रीराम,जयनारायण पिता चुन्ना हिस्सा 1/5 ,घीसाराम,सूबेसिंह उर्फ लालाराम पि0 रघुनाथ हिस्सा 1/2, जगराम, फुसा,रामजीलाल पिता चुन्ना हिस्सा 3/10 जाति अहीर सा0देह खातेदार" दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल कराये जाने के आदेश दिए जावें। तथा बाद दुरूस्ती तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

24/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
189 / 2018	14.08.2018	24.05.2023

उनवान

1. घीसाराम पुत्र रूघनाथ उर्फ रघुनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
2. सूबेसिंह उर्फ लालाराम पुत्र रूघनाथ उर्फ रघुनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।

वादीगण।

बनाम

1. श्रीमती चम्पा पत्नी जयनारायण
2. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण
3. रोहताश पुत्र जयनारायण
4. सतीश पुत्र जयनारायण
5. जगदीश पुत्र जयनारायण
6. प्रेम पुत्री जयनारायण
7. मीना पुत्री जयनारायण
8. समता पुत्री जयनारायण
9. जगराम पुत्र चुन्ना
10. फुसा पुत्र चुन्ना
11. फुलवती पत्नी रामजीलाल
12. राजेश पुत्र रामजीलाल सभी जाति अहीर निवासीयान ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
13. मुकेश पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी पप्पूराम जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
14. सुमन पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी रामपाल जाति अहीर निवासी झापरी तह0 कोटकासिम।
15. वेदवती पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा पत्नी रमेश जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
16. पूनम पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा हाल पत्नी सेठी जाति अहीर निवासी पाली तह0 व जिला रेवाडी।
17. बबली पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी कायसा हाल पत्नी लालाराम जाति अहीर निवासी झापरी तह0 कोटकासिम।
18. उपपंजीयक ,नीमराना।
19. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

[उप]स्थिती:— 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

[दि]नांक 24.05.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादी को आराजी हाल ख.नं. 1736/0.60 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी के खातेदारी कालम मे जहॉ पर " श्रीराम,जयनारायण पि.नरसिंह हिस्सा 1/3 ,घीसाराम, सूबेसिंह उर्फ लालराम पिता रघुनाथ हिस्सा 1/6, जगराम, फुसा,रामजीलाल पि0 चुन्ना हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार " दर्ज है। उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान " श्रीराम,जयनारायण पिता चुन्ना हिस्सा 1/5 ,घीसाराम,सूबेसिंह उर्फ लालाराम पि0 रघुनाथ हिस्सा 1/2, जगराम, फुसा,रामजीलाल पिता चुन्ना हिस्सा 3/10 जाति अहीर सा0देह खातेदार" दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल कराये जाने के आदेश दिए जावें। तथा बाद दुरूस्ती तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)